न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

18 / 2023

श्री प्रभु लाल पुत्र बजरंग लाल गुर्जर निवासी ग्राम लाम्बाकलॉ तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बरवास --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **26.07.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बरवास को आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

वर्ष 2020 खरीफ व रबी वर्ष 2021-22 गिरदावरी रिपोर्ट काश्तकार बजरंगा पुत्र मोडू

1 सन् 2021 खरीफ फसल व रबी फसल दोनों फसलों की खराबा % खसरा गिदावरी रिपोर्ट (दोनों फसलो की अलग-अलग) रिपोर्ट खसरा न. 1152, 1213/2814, 1218, 1219 ,2015/3061, 2106. 2425/2810, 2433, 2435 कुल खसरा 9 क्षे. 6.67 प्रत्येक ख.न. जिन्स सहित (फसल)।

2 सन् 2022 खरीफ व रबी फसल दोनों फसलों की खराबा % खसरा गिरदावरी रिपोर्ट (दोनों फसलो की) रिपोर्ट जिन्स सहित ख. नं 1152, 1213/2814, 1218.1219, 2015/3061, 2106, 2425/2810, 2433, 2435 कुल खसरा 9 कुल क्षे. 6.67, ख.नं. 1195, 1196 क्षे. 2.81।

3.सन् 2020 से 2023 खसरा गिरदावरी रिपोर्ट 2020 से 2023 तक तीन साल की दोनो फसलों की।

4 वर्ष 2022 खरीफ फसल का मुआवजा हेतु आपने काश्तकार का आवेदन करवाया गया कौनसी योजना में ऑनलाइन किया गया (1) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या कृषि आदान -अनुदान योजना कितने है० तक मुआवजा मिलेगा दिनांक 15.12.2022 8162 रूपये pm फसल बीमा से यह राशि मिली उनकी कैसे भर पायी होगी।

5 कमांक/सहायता/बाढ अतिवृष्टि 2022/23, 6177 दिनांक 01.12.2022 प्रार्थी प्रभुलाल पुत्र बजरंग लाल का अतिवृष्टि से ध्वस्त हुये पशु आश्रय की मुआवजा राशि P.M.I.S पोर्टल कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट कब तक भुगतान होगा।

6. बजरंग पुत्र मोडू गुर्जर दिनांक 07.06.2022 को सीमाज्ञान का आदेश हुआ था जिसका 400 रूपये का सीमाज्ञान शुल्क भी जमा करवाया था लेकिन अभी तक खं नं. 1218, 1219, 1213/2814 कुल 5.01 रकबा कब तक सीमाज्ञान होगा। दिनांक 31.03. 2023 सीमाज्ञान शुल्क की अन्तिम ता. इस तारीख के बाद कौन है जिम्मेदार।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बरवास को पत्र कमांक 512 दिनांक 26.06.2023 व 560 दिनांक 5.07.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बरवास ने पत्र कमांक /आर.टी.आई./2023/543 दिनांक 20.07.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संवंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 402 दिनांक 28.04.2023 से सूचना के संवंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बरवास तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)